न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट कबराड़िया तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः–श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–288/2012 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्रीमति सीता पत्नि कैलाश ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी कबराड़िया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादिया

बनाम

1–चांदी पत्नि हांसू जाट, उम्र बालिग निवासी कबराड़िया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2–सुखदेव पिता हांसू जाट, उम्र बालिग निवासी कबराड़िया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा ———प्रतिवादीगण

वादिया की ओर से श्री — एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 22.6.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कबराड़िया पटवार हल्का कबराड़िया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 899 रकबा 6 बिस्वा भूमि में से 1/15 हिस्से का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी हिस्से अनुसार भूमि वादिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वह वादिया को विवादित आराजियात में से उसके हक व हिस्से की 1/3 हिस्से की आराजियात से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

करावें। तथा वादिया को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(सी.एल.शर्मा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

आज दिनांक 22.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल